बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

# ऑनलाइन भूमि दखल-कब्ज़ा प्रमाण पत्र

## आवेदन करने की प्रक्रिया

http://www.biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें|

"ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज/LPC आवेदन" पर क्लिक करें|

अगर आप नए यूजर है तो Email तथा मोबाइल OTP के माध्यम से खुद को पंजीकृत कर अपना ID बनायें| अब आप इस ID का उपयोग कर आवेदन करने के लिए पोर्टल में लॉग-इन करें|

ID से लॉग-इन के बाद जिस अंचल में आवेदन करना है उसे चुनें, तथा "Apply for LPC" बटन पर क्लिक करें|

अब आप उस जमाबंदी को खोजें जिसका LPC आपको लेना है| जमाबंदी खोजने के बाद उसके सामने दिए "चयन करें" बटन पर क्लिक करें|

अब आपको जमाबंदी की सभी विवरणी दिखाई देगी| अब आप "Proceed for LPC" बटन पर क्लिक करें| अद्यतन लगान भुगतान किये बिना आप Online LPC के लिए Apply नहीं कर सकते|

अब आवेदक अपना विवरण, स्व-घोषणा पत्र तथा LPC निर्गत करने का कारण भरकर "Final Submit" बटन पर क्लिक करें|

आवेदक द्वारा LPC हेतु आवेदन दर्ज हो जायेगा तथा आवेदक को एक आवेदन संख्या मिलेगी| आवेदक अपना प्राप्ति रसीद भी प्रिंट कर सकते है|

रैयत "LPC आवेदन स्थिति" से अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं|

अंचल कार्यालय द्वारा LPC स्वीकृत होने की स्थिति में 10 दिनों के भीतर आवेदक घर बैठे भूमि दखल-कब्ज़ा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है|